



REGIONAL OFFICE

**RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD**  
SPL-2, 5<sup>th</sup> Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer  
email : rorpcb.kishangarh@gmail.com



RPCB/RO KSG/PUB-122/ 1094

Date: 22-07-2021

M/s Balaji Mines & Minerals  
Shri Mohan Ram  
Khadawa Ki Dhani, Parsoli  
Ajmer

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for Chandma Granite mineral Cluster (MI no. 64/2018, 01A/2001, 16A/2012, 17A/2012, 23/2012, 24/2012, 11/2014 & 12/2018) Mining Project Total Cluster Area 15.4540 Hectare, Total cluster production capacity 791439 TPA Village Chandma, Tehsil Tantoti, District Tonk.

Ref.:- Office of District Collector & Magistrate, Ajmer letter no. 9554 dated 20/07/2021.

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before 29/07/2021. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Village Rammaliya, Tehsil Bhinay, Distret Ajmer at 03:30 PM on 28/08/2021** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

(Deepak Tanwar)  
Environmental Engineer  
& Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The Additional District Magistrate, Ajmer in compliance to your letter no.9554 dated 20/07/2021.
3. Analyst Cum Programmer, RSPCB, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, पंचम चरण, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम/क्षैका किश/पीयूबी-122/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बालाजी माइन्स एवं मिनरल्स द्वारा श्री मोहन राम द्वारा चांदमा ग्रेनाइट क्लस्टर खनन परियोजना ग्राम-चांदमा, तहसील-टांटोटी, जिला-अजमेर जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पट्टा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स बालाजी माइन्स एवं मिनरल्स खसरा सं 1041/1 एवं 1042/1	64/2018	1.1358	81647 टीपीए (आर.ओ.एम.)
2	श्री फूल सिंह	01ए/2001	1.6675	38160 टीपीए
3	श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत	16ए/2012	3.0001	134150 टीपीए
4	श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत	17ए/2012	3.00	105610 टीपीए
5	श्री शंकर लाल साहू	23/2012	1.6884	32636 टीपीए
6	श्री शंकर लाल साहू	24/2012	1.6884	35336 टीपीए
7	श्रीमति कमला	11/2014	1.5838	174000 टीपीए
8	श्री फूल सिंह	12/2014	1.69	189900 टीपीए

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 15.4540 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-791439 टीपीए ग्राम चांदमा, तहसील टांटोटी, जिला अजमेर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स बालाजी माइन्स एवं मिनरल्स द्वारा श्री मोहन राम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-

1. जिला कलक्टर, अजमेर।
2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डुंगरी, जयपुर।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
5. तहसील-टांटोटी, जिला-अजमेर।
6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रामालिया, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2021/9554 दिनांक 20.07.2021 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 28/08/2021 को दोपहर 03:30 बजे, स्थान - राजीव गांधी सेवा केन्द्र, रामालिया, तहसील भिनाय, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर को भी दिये जा सकते हैं।

(दीपक तेंवर)

पर्यावरण अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी